

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि०न० -50/2019

अनवान : -

1. कुलदीप पुत्र धर्मपाल जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।

- वादी

ब न अ म

1. धर्मपाल पुत्र विशम्बरदयाल जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. संदीप पुत्र धर्मपाल जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. सुनीता पुत्री धर्मपाल जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरां

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री जयकिशन गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा चक 1 सीएचएन के वर्तमान खाता संख्या 47/42 की कुल 9.195 हैक्टेयर में प्रतिवादी 1 के नाम 181-3/4 हिस्सा एवं चक 5 सीएचएन के खाता सं० 53/48 की कुल 4.048 हैक्टेयर वारानी में प्रतिवादी धर्मपाल के नाम दर्ज 3.795 हैक्टेयर प्रतिवादी धर्मपाल के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



^W
(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़